NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 02-02-2026

विषय सूची

केंद्रीय बजट 2026: प्रमुख बिंदु

कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित खिलौने(AI-powered Toys)

वित्त मंत्री द्वारा16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत

सरकार द्वारा रोजगारों और सेवाओं पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव की समीक्षा हेतु एक पैनल का गठन

कृषि हेतु सीमांत वृद्धि

पर्यावरणीय अनुसंधान का परिवर्तित परिदृश्य

संक्षिप्त समाचार

संत गुरु रविदास

बौद्ध परिपथ (Buddhist Circuits)

नारियल, चॉकलेट, काजू को बजट 2026–27 में विशेष महत्व

कार्बन कैप्चर पर बल : केंद्रीय बजट 2026

ग्रेन एटीएम (Grain ATMs)

मोल्टबुक प्लेटफ़ॉर्म

थायपूसम

केंद्रीय बजट 2026: प्रमुख बिंदु

संदर्भ

- हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-2027 प्रस्तुत किया।

भारत के केंद्रीय बजट का संवैधानिक आधार

- केंद्रीय बजट की तैयारी, प्रस्तुति और अनुमोदन का अधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त होता है।
- **वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112):**
  - यह केंद्रीय बजट का मूल संवैधानिक प्रावधान है। यह सरकार को प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है।
  - राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
    - इसमें अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय दर्शाए जाते हैं।
    - यह वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल – 31 मार्च) के लिए होता है।
- **अनुदानों की माँग पर मतदान (अनुच्छेद 113):**
  - भारत की संचित निधि से संसद की स्वीकृति के बिना कोई धनराशि व्यय नहीं जा सकती।
    - अनुदानों की माँग केवल लोकसभा में चर्चा और मतदान के लिए आती है।
    - राज्यसभा चर्चा कर सकती है, परंतु मतदान नहीं कर सकती।
    - यह सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करता है।
- **अनुदान विधेयक (अनुच्छेद 114):**
  - अनुदानों की माँग स्वीकृत होने के बाद एक अनुदान विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
  - यह सरकार को संचित निधि से धन आहरित करने और स्वीकृत उद्देश्यों पर व्यय करने का अधिकार देता है।
    - इस विधेयक के बिना सरकारी व्यय असंवैधानिक माना जाएगा।
- **कानून के अधिकार के बिना कर नहीं (अनुच्छेद 265):**
  - कोई भी कर कानून के अधिकार के बिना लगाया या वसूला नहीं जा सकता।
  - बजट में सभी कर प्रस्तावों को विधेयक द्वारा समर्थित होना चाहिए और संसद से अनुमोदित होना आवश्यक है।
  - यह मनमाने कराधान को रोकता है।
- **संचित निधि, आकस्मिक निधि, सार्वजनिक खाता (अनुच्छेद 266):**
  - **संचित निधि:** सरकार का मुख्य खाता।
  - **आकस्मिक निधि:** आपात स्थितियों के लिए।
  - **सार्वजनिक खाता:** ट्रस्ट के रूप में रखी गई धनराशि (जैसे भविष्य निधि, बचत आदि)।
    - अधिकांश बजटीय लेन-देन संचित निधि से संबंधित होते हैं।
- **धन विधेयक (अनुच्छेद 110):**
  - वित्त विधेयक (बजट का हिस्सा) एक धन विधेयक होता है।
  - इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
  - राज्यसभा इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, केवल सिफारिश कर सकती है।
  - यह वित्तीय मामलों में लोकसभा को प्रधानता प्रदान करता है।

केंद्रीय बजट 2026–27 की प्रमुख विशेषताएँ

यह प्रथम केंद्रीय बजट है जो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। वित्त मंत्री ने रेखांकित किया कि यह तीन कर्तव्यों से प्रेरित है—विकास को तीव्र करना, जनशक्ति का निर्माण करना, और समावेशी विकास सुनिश्चित करना।

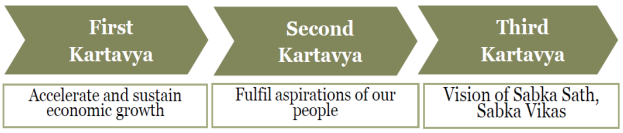

प्रथम कर्तव्य: आर्थिक विकास को तीव्र और सतत बनाना

- वैश्विक अस्थिरता के बीच उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलापन पर ध्यान केंद्रित।
- प्रमुख हस्तक्षेपों में सात रणनीतिक एवं अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा; पारंपरिक उद्योगों का पुनरुद्धार; चैंपियन MSMEs का निर्माण; अवसंरचना पर निरंतर बल; दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा; और सिटी इकोनॉमिक रीजन (CERs) का विकास शामिल।
- प्रमुख क्षेत्रीय घोषणाएँ
  - बायोफार्मा शक्ति: पाँच वर्षों में ₹10,000 करोड़ का निवेश, भारत को वैश्विक बायोफार्मा केंद्र बनाने हेतु। इसमें नए एवं उन्नत NIPERs, 1,000 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल साइट्स, और त्वरित दवा अनुमोदन शामिल।
  - वस्त्र उद्योग: एकीकृत कार्यक्रम जिसमें फाइबर आत्मनिर्भरता, क्लस्टर आधुनिकीकरण, हैंडलूम व हस्तशिल्प, सतत वस्त्र, और समर्थ 2.0 के माध्यम से कौशल विकास शामिल।
  - MSMEs: भविष्य के चैंपियनों को विकसित करने हेतु ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड।
  - अवसंरचना: सार्वजनिक पूंजीगत व्यय FY 2026–27 में बढ़कर ₹12.2 लाख करोड़ होगा, जिससे निवेश गति बनी रहेगी।
  - हरित लॉजिस्टिक्स: नए समर्पित मालवाहक कॉरिडोर, 20 राष्ट्रीय जलमार्ग, और लॉजिस्टिक्स जनशक्ति हेतु प्रशिक्षण केंद्र।
  - शहरी विकास: प्रत्येक CER के लिए पाँच वर्षों में ₹5,000 करोड़, सुधार-आधारित चुनौती मोड के माध्यम से।
  - हाई-स्पीड रेल: सात कॉरिडोर, जो अंतर-शहरी विकास कनेक्टर के रूप में कार्य करेंगे।

द्वितीय कर्तव्य: आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण

- इसका उद्देश्य नागरिकों को विकास के साझेदार के रूप में सशक्त बनाना है। बजट मानव पूंजी में निवेश को बेहतर करता है और यह उल्लेख करता है कि 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल चुके हैं।
- प्रमुख पहलें:
  - मेडिकल टूरिज़्म: स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अनुसंधान को एकीकृत करते हुए पाँच क्षेत्रीय चिकित्सा हब।
  - पशु चिकित्सा शिक्षा: निजी क्षेत्र की क्षमता निर्माण के माध्यम से 20,000 से अधिक पेशेवरों को जोड़ने का समर्थन।
  - AVGC क्षेत्र: भविष्य की प्रतिभा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 15,000 विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स।
  - शिक्षा एवं लैंगिक समानता: STEM संस्थानों के लिए प्रत्येक ज़िले में एक छात्रावास (बालिकाओं हेतु)।
  - पर्यटन एवं आतिथ्य: राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना तथा 10,000 पर्यटक मार्गदर्शकों का कौशल उन्नयन।
  - खेलकूद: प्रतिभा, अवसंरचना और खेल विज्ञान के व्यवस्थित विकास हेतु खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ।

तृतीय कर्तव्य: सबका साथ, सबका विकास

- यह विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में समावेशी विकास के अनुरूप है।
  - कृषि: भारत-विस्तार—एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित बहुभाषी परामर्श मंच, जो एग्रीस्टैक और ICAR प्रणालियों को एकीकृत करता है।
  - महिला सशक्तिकरण: SHE मार्ट्स के माध्यम से स्वयं सहायता उद्यमियों को सुदृढ़ करना।
  - मानसिक स्वास्थ्य: NIMHANS-2 की स्थापना तथा रांची और तेजपुर स्थित संस्थानों का उन्नयन।

- क्षेत्रीय विकास: ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पुरवोदय राज्यों में पर्यटन स्थलों का विकास, ई-बसें, और उत्तर-पूर्व में बौद्ध परिपथ योजना।

कर सुधार: सरल एवं विकासोन्मुखी

- प्रत्यक्ष कर: नया आयकर अधिनियम, 2025, अप्रैल 2026 से प्रभावी।
  - विदेशी पर्यटन, शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों हेतु कम TCS दरें।
  - सरलीकृत TDS, स्वचालित कम-कटौती प्रमाणपत्र, रिटर्न संशोधन हेतु विस्तारित समयसीमा।
  - दंड और अभियोजन का युक्तिकरण, लघु अपराधों का अपराधमुक्तिकरण।
  - सहकारी समितियों और आईटी सेवाओं हेतु लक्षित राहत।
  - वैश्विक क्लाउड, डेटा सेंटर और विनिर्माण निवेश आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन।
- अप्रत्यक्ष कर: विनिर्माण, ऊर्जा संक्रमण, विमानन और महत्वपूर्ण खनिजों को समर्थन देने हेतु सीमा शुल्क का युक्तिकरण।
  - व्यक्तिगत आयात पर कम शुल्क और आवश्यक दवाओं हेतु छूट।
  - तीव्र, प्रौद्योगिकी-संचालित सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ और विस्तारित AEO लाभ।
  - कूरियर, मत्स्य पालन और SEZ सुधारों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा।

राजकोषीय समेकन और स्थिरता

- बजट विकास को समर्थन देते हुए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखता है:
  - राजकोषीय घाटा: BE 2026–27 में GDP का 4.3%।
  - ऋण-से-GDP अनुपात: घटकर 55.6%।
  - पूंजीगत व्यय (RE 2025–26): लगभग ₹11 लाख करोड़।
  - गैर-ऋण प्राप्तियाँ (BE 2026–27): ₹36.5 लाख करोड़।

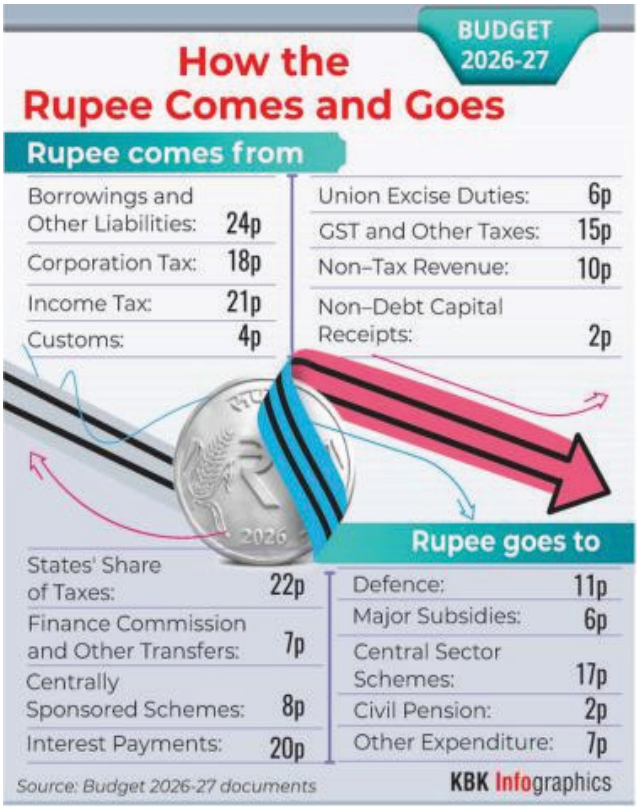

निष्कर्ष

- केंद्रीय बजट 2026–27 भारत के आगामी विकास चरण हेतु एक कर्तव्य-प्रेरित, सुधारोन्मुखी और समावेशी मार्गदर्शिका प्रस्तुत करता है।
- यह बजट राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए जनशक्ति, उत्पादकता और अवसंरचना में साहसिक निवेश को संयोजित करता है, जिससे एक सुदृढ़, प्रतिस्पर्धी एवं न्यायसंगत विकसित भारत की नींव रखी जाती है, जो तीन कर्तव्यों पर आधारित है।

स्रोत: PIB

कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित खिलौने (AI-powered Toys)

संदर्भ

- नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित खिलौना "साथी/सहचर(companions)" लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं।
  - निर्माताओं का दावा है कि ये खिलौने बच्चों को शिक्षित करने में सहायता करते हैं, किंतु विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ऐसे खिलौने बच्चों के स्वस्थ विकास को प्रभावित कर सकते हैं।

एआई खिलौने क्या हैं?

- एआई खिलौनों को कार्य करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है और ये रंगीन पात्र, आकर्षक जीव या मित्रवत चेहरे वाले रोबोट के रूप में हो सकते हैं।
- इनमें से कई एआई खिलौनों में अंतर्निहित माइक्रोफोन होते हैं जो बच्चों को सुनते हैं और उत्तर तैयार करते हैं।
- निर्माता इन्हें ऐसे उत्पादों के रूप में प्रचारित करते हैं जो शैक्षिक उत्तर प्रदान करते हैं, भावनात्मक समर्थन देते हैं, बच्चों को कार्यों या खेलों में मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें नए कौशल सिखाते हैं और प्रशंसा लौटाते हैं।

एआई खिलौनों से संबंधित प्रमुख चिंताएँ

- डेटा गोपनीयता जोखिम: एआई खिलौने बच्चों की आवाज़, छवियाँ, व्यवहार पैटर्न जैसे संवेदनशील डेटा एकत्र करते हैं, जिससे डेटा दुरुपयोग और निगरानी का जोखिम बढ़ता है।
- साइबर सुरक्षा खतरे: इंटरनेट से जुड़े खिलौनों को हैक किया जा सकता है, जिससे बच्चे अपरिचित या अनुचित सामग्री के संपर्क में आ सकते हैं।
- मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रभाव: एआई खिलौनों के प्रति अत्यधिक भावनात्मक लगाव सामाजिक विकास और वास्तविक मानवीय अंतःक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है।
- पक्षपात और अनुचित उत्तर: एआई प्रणालियाँ सांस्कृतिक, लैंगिक या नस्लीय पक्षपात को प्रतिबिंबित कर सकती हैं, जिससे बच्चों में रूढ़िवादिता सुदृढ़ हो सकती है।
- व्यावसायिक शोषण: सदस्यता-आधारित एआई खिलौने बच्चों को हानि पहुँचा सकते हैं यदि वे भावनात्मक समर्थन के लिए उन पर निर्भर हो जाएँ और अभिभावक भुगतान जारी रखने में असमर्थ हों।
- अभिभावकीय नियंत्रण और पारदर्शिता की कमी: अभिभावकों को प्रायः यह स्पष्ट नहीं होता कि डेटा कैसे संग्रहीत, संसाधित या साझा किया जाता है।
- नियामक और नैतिक अंतराल: वर्तमान बाल संरक्षण और डेटा कानून तीव्र गति से विकसित हो रहे एआई खिलौनों के साथ सामंजस्यशील होने में संघर्ष कर रहे हैं।

अभिभावकों और देखभालकर्ताओं को एआई खिलौनों के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए?

- मानवीय अंतःक्रिया विकासात्मक रूप से आवश्यक है; कोई भी एआई खिलौना शिक्षकों और देखभालकर्ताओं से मिलने वाले लाभ या सीखने का स्थान नहीं ले सकता।
- अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ सीधे जुड़ना चाहिए और उन्हें अधिक पारंपरिक सीखने के अनुभवों की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए, जैसे गैर-एआई खिलौने, पुस्तकें, संग्रहालय भ्रमण, खेल-मिलन, पारिवारिक खेल रात्रि, कल्पनाशील खेल एवं कला।

भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अनुपालन

- बच्चों के डेटा का संरक्षण: अधिनियम बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण हेतु सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति को अनिवार्य करता है, जिसे वॉइस-इनेबल्ड और हमेशा सुनने वाले खिलौनों में सुनिश्चित करना कठिन है।
- डेटा न्यूनतमकरण और उद्देश्य सीमा: एआई खिलौने प्रायः आवश्यकता से अधिक व्यवहारिक और भावनात्मक डेटा एकत्र करते हैं।
- प्रोफाइलिंग प्रतिबंध: अधिनियम बच्चों की व्यवहारिक ट्रैकिंग और लक्षित प्रभाव को हतोत्साहित करता है, जिसे एआई खिलौने सक्षम कर सकते हैं।
- सीमापार डेटा हस्तांतरण: क्लाउड-आधारित एआई खिलौने डेटा को विदेशों में संग्रहीत कर सकते हैं, जिससे संप्रभुता और प्रवर्तन संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

स्रोत: TH

वित्त मंत्री द्वारा16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत

समाचार मे

- 16वाँ वित्त आयोग, जिसकी स्थापना वर्ष 2023 में डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में की गई थी, उसकी प्रमुख सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इन्हें वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक लागू किया जाएगा।

वित्त आयोग क्या है?

- संवैधानिक निकाय: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित।
- गठन: भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष (या उससे पूर्व) में गठित।
- संरचना: एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य।
- मुख्य कार्य: यह राजकोषीय संघवाद का संतुलनकारी पहिया है, जो निम्नलिखित सिफारिशें करता है:
  - ऊर्ध्वाधर वितरण : केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का बँटवारा।
  - क्षैतिज वितरण : राज्यों के बीच कर राजस्व का आवंटन।
  - अनुदान-इन-एड : भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 275) से राज्यों को वित्तीय सहायता देने के सिद्धांत।
  - स्थानीय निकाय: पंचायतों और नगरपालिकाओं को समर्थन देने हेतु राज्य संचित निधियों को बढ़ाने के उपाय।
- सिफारिशों का स्वरूप: परामर्शात्मक (कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं), किंतु परंपरागत रूप से सरकार द्वारा स्वीकार की जाती हैं।
- नोट: केंद्र द्वारा लगाए गए उपकर और अधिभार विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होते।

प्रमुख विशेषताएँ

- ऊर्ध्वाधर वितरण (कर साझेदारी):

HOW STATES SHARE THE MONEY BAG

Total divisible pool of central taxes is up 86%, from ₹56 lakh crore under the 15th Finance Commission to ₹104 lakh crore under the 16th. While all states will get more funds in absolute terms, their shares have shifted—mostly marginally. On this front, only one of the five southern states stands to lose

State	15th FC	16th FC	Change in share (% point)	State	15th FC	16th FC	Change in share (% point)
UP	17.93	17.62	-0.31	Kerala	1.94	2.38	0.44
Bihar	10.06	9.95	-0.11	Telangana	2.13	2.17	0.04
MP	**7.89**	**7.35**	**-0.54**	Punjab	1.79	2.00	0.21
West Bengal	7.52	7.22	-0.31	Haryana	1.08	1.36	0.28
Maharashtra	6.13	6.44	0.31	Arunachal	1.76	1.35	-0.41
Rajasthan	5.98	5.93	-0.05	Uttarakhand	1.1	1.14	0.04
Odisha	4.63	4.42	-0.21	Himachal	0.8	0.91	0.11
Andhra	4.11	4.22	0.11	Tripura	0.7	0.64	-0.06
Karnataka	**3.64**	**4.13**	**0.49**	Meghalaya	0.77	0.63	-0.14
Tamil Nadu	4.19	4.10	-0.09	Manipur	0.72	0.63	-0.09
Gujarat	3.4	3.76	0.36	Mizoram	0.5	0.56	0.06
Jharkhand	3.31	3.36	0.05	Nagaland	0.57	0.48	-0.09
Chhattisgarh	3.41	3.30	-0.11	Goa	0.39	0.37	-0.03
Assam	3.13	3.26	0.13	Sikkim	0.39	0.34	-0.06

Note: FC is short for Finance Commission; figures for 15th & 16th FC are in %

  - 41% पर यथावत: आयोग ने राज्यों का हिस्सा विभाज्य कर पूल में 41% रखने की सिफारिश की (15वें वित्त आयोग के समान)।
  - "ग्रैंड बार्गेन" प्रस्ताव: रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि यद्यपि हिस्सा 41% है, वास्तविक पूल घट गया है क्योंकि केंद्र के उपकर और अधिभार (जो साझा नहीं होते) बढ़ गए हैं। भविष्य में इन्हें नियमित कर पूल में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है।
- आपदा प्रबंधन अनुदान:
  - नई आपदाएँ: 16वें वित्त आयोग ने लू और आकाशीय बिजली को राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल करने की सिफारिश की, जिससे राज्यों को इन घटनाओं हेतु केंद्रीय निधि तक पहुँच मिल सके।
  - कुल कोष: पाँच वर्षों की अवधि के लिए ₹2,04,401 करोड़।
  - आवंटन: 80% राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) को और 20% राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) को।
- स्थानीय निकायों को अनुदान:
  - कुल आवंटन: ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों हेतु ₹7,91,493 करोड़।
  - प्रदर्शन-आधारित: अनुदान को मूलभूत (80%) और प्रदर्शन (20%) घटकों में विभाजित किया गया।
  - शहरीकरण प्रीमियम: ₹10,000 करोड़ का कोष, अर्ध-शहरी गाँवों को बड़े शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में विलय हेतु प्रोत्साहित करने के लिए।
- राजकोषीय मार्गदर्शिका:
  - राज्य घाटा: राज्यों के राजकोषीय घाटे को GSDP के 3% तक सीमित करने की सिफारिश।
  - केंद्रीय घाटा: FY31 तक केंद्र का राजकोषीय घाटा GDP के 3.5% तक लाने का लक्ष्य।
  - राजस्व घाटा अनुदान का अंत: पूर्ववर्ती आयोगों के विपरीत, 16वें वित्त आयोग ने वितरणोत्तर राजस्व घाटा अनुदान को समाप्त कर दिया है और राज्यों को अपने कर प्रशासन में सुधार करने का आग्रह किया है।

स्रोत: TH

सरकार द्वारा रोजगारों और सेवाओं पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव की समीक्षा हेतु एक पैनल का गठन

संदर्भ

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सेवाक्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करने हेतु एक उच्च-स्तरीय 'शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता' स्थायी समिति का गठन किया जाएगा।

बजट दस्तावेज़ों के अनुसार उच्च-स्तरीय स्थायी समिति की संदर्भ शर्तें

- उन सेवाक्षेत्र उप-क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाएँ हैं।
- उभरती प्रौद्योगिकियों, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भी शामिल है, का रोजगारों और कौशल आवश्यकताओं पर प्रभाव का आकलन करना।
- विद्यालय स्तर से ही शिक्षा पाठ्यक्रम में एआई को सम्मिलित करने और शिक्षक प्रशिक्षण हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों को उन्नत करने के लिए विशिष्ट उपाय प्रस्तावित करना।
- अनौपचारिक कार्यप्रवाह को दृश्य, सत्यापन योग्य और भविष्य-उन्मुख बनाने के उपाय प्रस्तावित करना, ताकि ऊर्ध्व गतिशीलता की संभावनाएँ बढ़ सकें।
- देश में कुशल प्रवासी भारतीयों और विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने हेतु कदम सुझाना।

समिति की आवश्यकता

- स्वचालन के कारण रोजगार की हानि: एआई के प्रभाव से रोजगारों पर बढ़ती चिंताओं के चलते विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों की छंटनी हो रही है और उद्यम तीव्रता से स्वचालन की ओर बढ़ रहे हैं।
- क्षेत्रीय मानचित्रण: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने श्वेत कॉलर कार्यक्षेत्र से बाहर रोजगारों का व्यापक क्षेत्रीय मानचित्रण करने का आह्वान किया था, जिनमें उच्च कौशल की आवश्यकता होती है लेकिन वे कम स्टाफ वाले हैं। यह अर्थव्यवस्था में नए रोजगारों का प्रायः उपेक्षित स्रोत है।
- रोजगारों पर एआई के जोखिम को कम करना: नीतिगत सुधार वर्तमान रोजगारों पर एआई के संभावित जोखिमों को कम कर सकते हैं।

भारत में रोजगारों पर एआई का प्रभाव

- नियमित, दोहराव वाले कार्य सबसे अधिक संवेदनशील: बीपीओ/ग्राहक सेवा, बुनियादी लिपिकीय कार्य, असेंबली लाइन कार्य और नियमित लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों की भूमिकाएँ एआई-संचालित स्वचालन द्वारा अत्यंत सीमा तक कम की जा सकती हैं।
- पारंपरिक मध्यम-कौशल रोजगार : जो ऐतिहासिक रूप से स्थिर रोजगार प्रदान करती थीं, वे भी स्वचालन के कारण प्रभावित हो रही हैं।
- आईटी और आउटसोर्सिंग: एआई उपकरण कोडिंग, परीक्षण और समर्थन कार्य जैसे कार्यों को तीव्रता से संभाल रहे हैं, जिससे प्रमुख आईटी कंपनियों एवं आउटसोर्सिंग कंपनियों में कार्यबल का पुनर्गठन हो रहा है।

उभरते अवसर

- उभरती प्रौद्योगिकियाँ नई रोजगार श्रेणियाँ बना रही हैं जो पहले अस्तित्व में नहीं थीं, जैसे: एआई/एमएल इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक और विश्लेषक, क्लाउड आर्किटेक्ट, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, एआई उत्पाद प्रबंधक एवं प्रॉम्प्ट इंजीनियर।
  - ये भूमिकाएँ प्रायः उच्च वेतन प्राप्त करती हैं और इनकी माँग तीव्रता से बढ़ रही है।
  - पूर्वानुमान बताते हैं कि आगामी वर्षों में लाखों नई तकनीकी रोजगार जुड़ सकते हैं, संभावना है कि 2027 तक भारत में लगभग 4.7 मिलियन एआई/टेक भूमिकाएँ उभरेंगी।
- कौशल माँग में परिवर्तन : 2030 तक भारतीय कार्यबल का लगभग 38% कौशल आवश्यकताओं में बदलाव का अनुभव कर सकता है, जो ब्रिक्स देशों में सबसे अधिक है।
  - पारंपरिक शैक्षणिक प्रमाणपत्र रोजगार क्षमता के पूर्वानुमान में कम प्रभावी हो रहे हैं; भर्तीकर्ता तकनीकी कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमताओं और अनुकूलनशील सीखने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

आगे की राह

- कौशल उन्नयन और पुनःकौशल अनिवार्यता: भारत को नए रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप बड़े पैमाने पर पुनःकौशल की आवश्यकता है। अनुमान है कि 2027 तक 1.6 करोड़ से अधिक श्रमिकों को एआई और स्वचालन प्रौद्योगिकियों में पुनःकौशल की आवश्यकता होगी।
- सरकार और उद्योग की पहलें: राष्ट्रीय रणनीतियाँ और साझेदारियाँ छात्रों और श्रमिकों को एआई एवं तकनीकी दक्षताओं से लैस करने पर केंद्रित हैं।
  - बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट कौशल-निर्माण पहलें कार्यबल की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए चल रही हैं।

निष्कर्ष

- यद्यपि कुछ पारंपरिक भूमिकाएँ घटेंगी या परिवर्तित होंगी, नए अवसरों का एक गतिशील परिदृश्य खुल रहा है जो उन्नत तकनीकी क्षमताओं, सतत सीखने और अनुकूलनशीलता को पुरस्कृत करता है।
- यह संक्रमण सरकार, उद्योग और शैक्षिक प्रणालियों के समन्वित प्रयासों की माँग करेगा ताकि भारत का कार्यबल भविष्य के कार्य हेतु तैयार हो सके।

सरकारी पहलें

- **फ्यूचरस्किल्स PRIME (राष्ट्रीय पुनःकौशल एवं कौशल उन्नयन मंच):** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा NASSCOM के साथ साझेदारी में एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो आईटी पेशेवरों एवं युवाओं को एआई सहित 10 नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल उन्नयन/पुनःकौशल प्रदान करता है।
- **स्किल इंडिया मिशन:** भारत का व्यापक *स्किल इंडिया मिशन* अब विभिन्न एआई/टेक घटकों को शामिल करता है। यह एआई कौशल के प्रारंभिक परिचय को प्रोत्साहित करता है और व्यावसायिक मार्गों को भविष्य की तकनीकी भूमिकाओं में रोजगार क्षमता से जोड़ता है।
- **राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET):** इसने *राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (NPAI) कौशल ढाँचा* विकसित किया है, जो एआई, डेटा विज्ञान एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय रोडमैप, संरचना और दिशा-निर्देशों को रेखांकित करता है।
- **MSDE पहल – SOAR (एआई तत्परता के लिए कौशल विकास):** विद्यालयी छात्रों (कक्षा 6–12) में एआई जागरूकता और बुनियादी कौशल को सम्मिलित करने तथा शिक्षकों में एआई साक्षरता विकसित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर की पहल।
- **प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT):** IBM इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, एडोबी इंडिया, अमेज़न वेब सर्विसेज़ (AWS) आदि के साथ CSR के अंतर्गत कौशल पहल हेतु सहयोग।
- **क्षेत्रीय कौशल परिषद (SSCs):** सक्रिय उद्योग और वैश्विक क्षेत्रीय भागीदारी के साथ गठित, जो पाठ्यक्रम का सह-विकास करते हैं तथा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संचालित करते हैं।
  - प्रमुख उद्योग साझेदार पाठ्यक्रम समर्थन प्रदान करते हैं और एआई, रोबोटिक्स तथा *क्लाइमेट* टेक में प्रशिक्षुता/इंटर्नशिप समर्थन उपलब्ध कराते हैं।

स्रोत: IE

कृषि हेतु सीमांत वृद्धि

समाचार में

- विभिन्न राजनीतिक धाराओं से जुड़े किसान संगठनों ने केंद्रीय बजट 2026–27 की आलोचना की।

कृषि क्षेत्र से संबंधित घोषणाएँ : केंद्रीय बजट 2026–27

- केंद्रीय बजट 2026–27 में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में 2.6% की वृद्धि की गई है, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग ₹3,000 करोड़ अधिक है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण ने कृषि वृद्धि में मंदी की रिपोर्ट दी थी।
- वित्त मंत्री ने कृषि हेतु ₹1.3 लाख करोड़ का प्रस्ताव रखा, जो 2025–26 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान से थोड़ा अधिक है, किंतु 2024–25 के वास्तविक व्यय के निकट है।
- उर्वरक मंत्रालय को अधिक बढ़ावा मिला, जिसके लिए ₹1.7 लाख करोड़ का आवंटन किया गया—विगत वर्ष की तुलना में लगभग 8.5% की वृद्धि।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्रमुख पहलें

- फसलों से संबद्ध क्षेत्रों की ओर आय रणनीति का स्थानांतरण: बजट कृषि आय रणनीति को फसलों से संबद्ध क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित करने का संकेत देता है, जिसमें अधिकांश घोषणाएँ मत्स्य पालन और पशुपालन पर केंद्रित हैं।
  - इसमें अंतर्देशीय और तटीय मत्स्य पालन का विस्तार, मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना एवं विपणन में सुधार पर बल दिया गया है, जिसमें स्टार्टअप्स, महिला-नेतृत्व वाले समूह एवं उत्पादक संगठन शामिल हैं। पशुधन पहलों का ध्यान अवसंरचना आधुनिकीकरण और मूल्य श्रृंखला विकास पर है, जो अनाज-आधारित खेती से हटकर मत्स्य पालन, पशुधन, डेयरी एवं पोल्ट्री की ओर संकेत करता है।
- भौगोलिक फसल रणनीति, सामान्य कृषि नहीं: बजट ने उच्च-मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने हेतु ₹350 करोड़ की घोषणा की तथा सात स्थान-विशिष्ट फसलों—नारियल, कोको, काजू, बादाम, अखरोट, पाइन नट्स और चंदन—को प्राथमिकता दी है, जो तटीय, पहाड़ी, पूर्वोत्तर एवं बागान क्षेत्रों को लक्षित करती हैं।
  - नारियल संवर्धन योजना और काजू व कोको हेतु विशेष कार्यक्रमों जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्पादन, उत्पादकता और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो क्षेत्रीय तुलनात्मक लाभ पर आधारित कृषि रणनीति को दर्शाता है।
- उत्पादन समर्थन से अधिक बाज़ार पहुँच: बजट उत्पादन समर्थन की तुलना में बाज़ार पहुँच को प्राथमिकता देता है, जिसमें केवल खेती पर नहीं बल्कि बिक्री चैनलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - यह मछली और पशुधन एफपीओ, सामुदायिक स्वामित्व वाले SHE मार्ट्स (स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित) को बढ़ावा देता है और सहकारी समितियों को लक्षित कर राहत प्रदान करता है, जिसमें सदस्य-प्रदत्त इनपुट पर कटौती, अंतर-सहकारी लाभांश और राष्ट्रीय सहकारी महासंघों के लिए अस्थायी छूट शामिल हैं।
- लॉजिस्टिक्स और व्यापार संरचना को कृषि नीति के रूप में: बजट फार्म-टू-मार्केट सुधारों का प्रस्ताव करता है, जिसमें अप्रैल 2026 तक खाद्य, पौधों, पशुओं और वन्यजीव कार्गो के लिए एकल-खिड़की स्वीकृति शामिल है। साथ ही एआई-आधारित कंटेनर स्कैनिंग, गोदाम डिजिटलीकरण और समर्पित मालवाहक कॉरिडोर (जलमार्ग सहित) में निवेश का प्रावधान है।
- डिजिटल शासन और जैव-अर्थव्यवस्था का हिस्सा के रूप में कृषि: बजट भारत-विस्तार नामक एक एआई-सक्षम डिजिटल परामर्श मंच शुरू करने का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य कृषि डेटा और परामर्श सेवाओं को एकीकृत कर उत्पादकता एवं निर्णय-निर्धारण में सुधार करना है।
  - वेस्ट-टू-वैल्यू उत्पादन के अंतर्गत बजट संपीड़ित बायोगैस (CBG) पर देय उत्पाद शुल्क को हटाने का प्रस्ताव करता है।

उद्देश्य

- फसल विविधीकरण और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देकर किसान आय में वृद्धि करना।
- मत्स्य पालन और पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी रोजगार उत्पन्न करना।
- एकीकृत जल प्रबंधन और जलवायु-लचीली प्रथाओं के माध्यम से स्थिरता को बढ़ाना।
- डिजिटल सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें एआई और तकनीक का उपयोग कर उन्नत खेती तथा बेहतर बाज़ार संपर्क सुनिश्चित करना।

चिंताएँ

- किसानों ने तर्क दिया कि बजट ने वैधानिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), कृषि ऋण राहत और वैश्विक व्यापार व शुल्क दबावों से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान जैसी प्रमुख माँगों की उपेक्षा की है। उन्होंने इसे सरकारी वादों और वास्तविक बजटीय समर्थन के बीच के अंतर को बताया।
- बजट ने फसल बीमा, पीएमकेएसवाई, कृषि अनुसंधान (DARE) और खाद्य प्रसंस्करण पर व्यय को कम कर दिया है, जो दीर्घकालिक उत्पादकता एवं नवाचार के लिए सीमित राजकोषीय समर्थन को इंगित करता है।

- पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवंटन ₹63,500 करोड़ पर यथावत रखा गया, इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई।
- कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर व्यय 4.8% घटाकर ₹9,967.4 करोड़ कर दिया गया।

सरकार का दृष्टिकोण

- भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने केंद्रीय बजट 2026–27 को "ऐतिहासिक और अभूतपूर्व" बताया। उन्होंने कहा कि यह एक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत की नींव को सुदृढ़ करता है।
- यह किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों पर केंद्रित है, जिसमें गाँवों को केंद्र में रखा गया है। ग्रामीण विकास बजट में 21% की वृद्धि की गई है और ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्रालयों के संयुक्त आवंटन अब ₹4.35 लाख करोड़ से अधिक हो गए हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- केंद्रीय बजट 2026–27 जलवायु-लचीली कृषि, छोटे किसानों और महिलाओं के लिए समावेशी विकास तथा तकनीक-आधारित बाज़ार पहुँच पर केंद्रित है, साथ ही कृषि को व्यापक ग्रामीण विकास से जोड़ता है।
- बजट ने एक सिस्टम दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें कृषि को सात प्राथमिकताओं में एकीकृत कर पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है, बजाय केवल प्रत्यक्ष खेती हस्तक्षेपों पर ध्यान देने के।
- इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आवंटनों को संरचनात्मक और जलवायु-अनुकूल सुधारों के माध्यम से ठोस लाभों में कैसे परिवर्तित किया जाता है।

स्रोत :IE

पर्यावरणीय अनुसंधान का परिवर्तित परिदृश्य

संदर्भ

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रिमोट सेंसिंग और बिग डेटा पर्यावरणीय अनुसंधान को बदल रहे हैं, जहाँ क्षेत्रीय कार्य अब बढ़ते हुए कंप्यूटर-आधारित, डेटा-प्रेरित विधियों द्वारा समर्थित या प्रतिस्थापित हो रहा है।

पारंपरिक क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण के साथ पारिस्थितिकी अनुसंधान

- शास्त्रीय पारिस्थितिकी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अवलोकनों, नमूना संग्रहण और पारिस्थितिक तंत्रों की दीर्घकालिक निगरानी पर आधारित थी।
- क्षेत्रीय कार्य ने प्रजातियों की अंतःक्रियाओं, आवासीय परिस्थितियों और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं की संदर्भात्मक समझ को भी सक्षम बनाया।
- ऐसे दृष्टिकोण समय-साध्य, भौगोलिक रूप से सीमित और मानव उपस्थिति पर निर्भर होते हैं, जो संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों को बाधित कर सकते हैं।

प्रौद्योगिकी-प्रेरित पारिस्थितिकी अध्ययन की ओर बदलाव के कारक

- पारिस्थितिक डेटा का विस्फोट: विश्व स्तर पर एक अरब से अधिक प्राकृतिक इतिहास नमूनों का डिजिटलीकरण किया गया है।
  - आइनेचुरलिस्ट(iNaturalist) और ईबर्ड(eBird) जैसे प्लेटफ़ॉर्म बड़े पैमाने पर नागरिक विज्ञान डेटा सेट उत्पन्न करते हैं।
  - उपग्रहों, ड्रोन, कैमरा ट्रैप, ध्वनिक सेंसर और पर्यावरणीय डीएनए (eDNA) प्रौद्योगिकियों द्वारा सतत डेटा प्रवाह उत्पन्न होता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका: एआई स्वचालित प्रजाति पहचान, जनसंख्या ट्रैकिंग और आवास मानचित्रण को सक्षम बनाता है।
  - मशीन लर्निंग मॉडल प्रजातियों के वितरण, ऋतु-परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के अंतर्गत जैव विविधता ह्रास का पूर्वानुमान लगाते हैं।
  - जो कार्य पहले वर्षों के क्षेत्रीय अध्ययन की माँग करते थे, उन्हें अब एल्गोरिद्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर किया जा सकता है।

प्रौद्योगिकी-प्रेरित पारिस्थितिकी के लाभ

- वैज्ञानिक और परिचालन लाभ:
  - बड़े स्थानिक और कालिक पैमानों पर मानकीकृत एवं उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा।
  - नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों में मानव व्यवधान में कमी।

  - गहरे महासागरों, घने वर्षावनों और ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे दूरस्थ एवं खतरनाक वातावरण तक पहुँच।
  - सतत निगरानी, जो अस्थायी क्षेत्रीय यात्राओं की सीमाओं को पार करती है।
- दक्षता और अनुसंधान उत्पादन:
  - परिकल्पना परीक्षण और डेटा विश्लेषण में तीव्रता।
  - आधुनिक शैक्षणिक प्रोत्साहनों के अनुरूप, जो समय पर प्रकाशनों और वैश्विक डेटा सेटों को प्राथमिकता देते हैं।
  - पारिस्थितिकीविदों, डेटा वैज्ञानिकों और जलवायु मॉडलरों के बीच अंत:विषय सहयोग को सक्षम बनाता है।

चुनौतियाँ

- पारिस्थितिक अंतर्ज्ञान का ह्रास: प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव में कमी "अनुभव के विलुप्ति" की ओर ले जाती है, जो पारिस्थितिक नैतिकता और संरक्षण संवेदनशीलता को प्रभावित करती है।
- डेटा पक्षपात और व्याख्या संबंधी समस्याएँ: पारिस्थितिक डेटा नमूना स्थलों, प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों और अंतर्निहित धारणाओं से प्रभावित होते हैं।
  - पर्याप्त क्षेत्रीय सत्यापन के बिना प्रशिक्षित एआई मॉडल गलत वर्गीकरण और संदर्भगत त्रुटियों का कारण बन सकते हैं।
- प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता: एल्गोरिद्म स्थानीय पारिस्थितिक सूक्ष्मताओं को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं, जिन्हें केवल क्षेत्रीय अध्ययनों से देखा जा सकता है।
  - तकनीकी प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश और तकनीकी क्षमता की आवश्यकता होती है, जिससे विकासशील क्षेत्रों में पहुँच सीमित हो जाती है।
- श्रम विभाजन: पारिस्थितिकी एक अत्यधिक जटिल अनुशासन में विकसित हो चुकी है, और सभी पारिस्थितिकीविदों से क्षेत्रीय प्राकृतिकविद होने की अपेक्षा करना अब व्यावहारिक नहीं है।

आगे की राह

- प्रौद्योगिकी-प्रेरित अनुसंधान में नैतिक ढाँचे और संरक्षण उन्मुखता को सुदृढ़ करना।
- विशेषकर जैव विविधता-समृद्ध विकासशील देशों में डेटा साक्षरता और संगणनात्मक पारिस्थितिकी में क्षमता निर्माण।
- ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना जो खुले अभिगम वाले पारिस्थितिक डेटा को सुनिश्चित करें, साथ ही संवेदनशील आवासों की रक्षा भी करें।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

संत गुरु रविदास

संदर्भ

- संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के उपलक्ष्य में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट, आदमपुर रखा गया।

परिचय

- गुरु रविदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के एक पूज्य संत थे, जो एकता, भक्ति और मानवता की सेवा के अपने सशक्त संदेश के लिए जाने जाते हैं।
- उन्हें रविदासिया धर्म का संस्थापक माना जाता है।

जीवन और शिक्षाएँ

- वे जाति-आधारित भेदभाव के कट्टर विरोधी थे और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते रहे।
- उन्होंने मानव समानता, प्रेम और भाईचारे के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, जो धार्मिक एवं सामाजिक बाधाओं से परे थे।
- उन्होंने 'बेगमपुरा' नामक समाज की कल्पना की—एक ऐसा नगर जहाँ न दु:ख हो, न भय और न भेदभाव।
- उन्होंने समाज को 'कर्म' का व्यापक संदेश दिया, जिसे उन्होंने लोकप्रिय कहावत "मन चंगा तो कठौती में गंगा" के माध्यम से व्यक्त किया।

विरासत

- उनके भक्ति पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया।

- हिंदू धर्म की दादू पंथी परंपरा के पंचवाणी ग्रंथ में भी संत रविदास की अनेक कविताएँ सम्मिलित हैं।
- संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने गुरु रविदासजी द्वारा व्यक्त मूल्यों के आधार पर संवैधानिक सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया।

स्रोत: TH

बौद्ध परिपथ (Buddhist Circuits)

संदर्भ

- केंद्रीय बजट में 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 मार्गदर्शकों को कौशल उन्नयन हेतु एक पायलट योजना तथा आतिथ्य क्षेत्र में पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई।

परिचय

- एक राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड स्थापित किया जाएगा, जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के सभी स्थलों का डिजिटल दस्तावेजीकरण करेगा।
- सरकार ने क्षेत्र में बौद्ध परिपथों के विकास हेतु एक योजना का भी प्रस्ताव किया।
  - इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिज़ोरम एवं त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।

बौद्ध परिपथ

- 2016 में पर्यटन मंत्रालय ने बौद्ध परिपथ को देश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यटन परिपथ घोषित किया, जिसमें नेपाल और श्रीलंका के स्थलों को भारत के साथ जोड़ा गया।
- इसका उद्देश्य पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कराना और उनके पदचिह्नों का अनुसरण कराना है।
- इस परिपथ में बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थल शामिल हैं—जन्म से महापरिनिर्वाण तक: बोधगया, वैशाली, राजगीर, कुशीनगर, सारनाथ एवं श्रावस्ती, साथ ही कपिलवस्तु और लुंबिनी।
- चार पवित्र बौद्ध स्थल (चतुर्महास्थान):
  - लुंबिनी (नेपाल): गौतम बुद्ध का जन्मस्थान।
  - बोधगया (बिहार): बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति।
  - सारनाथ (उत्तर प्रदेश): प्रथम उपदेश (धम्मचक्र प्रवर्तन)।
  - कुशीनगर (उत्तर प्रदेश): महापरिनिर्वाण (मृत्यु)।

बौद्ध धर्म

- बौद्ध धर्म भारत में ईसा पूर्व पाँचवीं–छठी शताब्दी में उत्पन्न हुआ, जिसे विद्वान भारत का "द्वितीय नगरीकरण" काल कहते हैं।

बुद्ध की मूल शिक्षाएँ

- **चार आर्य सत्य:**
  - दुःख: जीवन दुःखमय है।
  - समुदय: दुःख तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है।
  - निरोध: तृष्णा का त्याग कर दुःख का अंत संभव है।
  - मार्ग: दुःख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है।
- **आर्य अष्टांगिक मार्ग:** तीन श्रेणियों में विभाजित—प्रज्ञा, शील और समाधि।
- **अस्तित्व के तीन लक्षण:**
  - अनिच्चा (अनित्य): सभी वस्तुएँ निरंतर परिवर्तनशील हैं।
  - दुःख: अस्तित्व असंतोष से भरा है।
  - अनत्ता (अनात्मा): कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है।
- **लक्ष्य: निर्वाण (निब्बान):**
  - दुःख और पुनर्जन्म से परे की अवस्था।
  - प्रज्ञा, नैतिक जीवन और मानसिक अनुशासन से प्राप्त।
  - निर्वाण परम मुक्ति और शांति है।

स्रोत: TH

नारियल, चॉकलेट, काजू को बजट 2026–27 में विशेष महत्व

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2026–27 में उच्च-मूल्य कृषि पर नया बल दिया गया है, जिसमें नारियल, काजू, कोको, चंदन

और चुनिंदा मेवा फसलों को लक्षित समर्थन प्रदान किया गया है, ताकि किसानों की आय एवं निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके।

नारियल उत्पादन

- पौधे का प्रकार: नारियल एक बहुवर्षीय बागान फसल है और परिवार एरेकेसी का एक एकबीजपत्री पाम है।
  - नारियल इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का मूल निवासी है, जिसकी उत्पत्ति सामान्यतः दक्षिण-पूर्व एशिया से मानी जाती है।
- जलवायु आवश्यकताएँ: नारियल को गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। यह 25°C से 30°C तापमान वाले क्षेत्रों में और समान रूप से वितरित वर्षा में सर्वोत्तम रूप से उगता है।
- मृदा आवश्यकताएँ: नारियल अच्छी जल-निकासी वाली बलुई दोमट, जलोढ़, लेटराइट और तटीय मृदा में पनपता है।
- भारत में वितरण: मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा और पश्चिम बंगाल।
  - विशेष तथ्य: भारत नारियल का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो लगभग 3 करोड़ लोगों की आजीविका का समर्थन करता है, जिनमें लगभग 1 करोड़ किसान शामिल हैं।

कोको उत्पादन

- पौधे का प्रकार: कोको एक सदाबहार बहुवर्षीय वृक्ष फसल है और परिवार माल्वेसी से संबंधित है।
  - उत्पत्ति: कोको मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के ऊपरी अमेज़न बेसिन में पाया जाता है। इसे औपनिवेशिक काल में एशिया और अफ्रीका में व्यावसायिक खेती हेतु लाया गया।
- जलवायु आवश्यकताएँ: कोको को गर्म, आर्द्र और भूमध्यरेखीय जलवायु की आवश्यकता होती है। यह 21°C से 32°C तापमान वाले क्षेत्रों में एवं वर्ष भर समान रूप से वितरित वर्षा में सर्वोत्तम रूप से उगता है।
- मृदा आवश्यकताएँ: कोको गहरी, उपजाऊ और अच्छी जल-निकासी वाली दोमट मृदा में, जो जैविक पदार्थ से समृद्ध हो, अच्छी तरह उगता है।
- भारत में खेती का पैटर्न: प्रमुख उत्पादक राज्य हैं—केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।

काजू उत्पादन

- पौधे का प्रकार: काजू एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वृक्ष फसल है, जो एनाकार्डिएसी कुल से संबंधित है।
- काजू वृक्ष (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल) दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पूर्वी ब्राज़ील के तटीय क्षेत्रों का मूल निवासी है।
  - पुर्तगाली अन्वेषकों ने 16वीं शताब्दी में इसे भारत और अफ्रीका में परिचित कराया।
- जलवायु आवश्यकताएँ: काजू को उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें स्पष्ट शुष्क ऋतु हो। यह 20°C से 35°C तापमान वाले क्षेत्रों में और मध्यम से उच्च वर्षा की स्थिति में सर्वोत्तम रूप से उगता है।
- मृदा आवश्यकताएँ: काजू लेटराइट, लाल बलुई एवं तटीय मृदा में उग सकता है तथा यह कमजोर और अवनत भूमि पर भी अच्छी तरह पनपता है।
- भारत में वितरण: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु।

स्रोत: HT

कार्बन कैप्चर पर बल : केंद्रीय बजट 2026

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2026–27 में भारत के जलवायु संक्रमण को समर्थन देने हेतु पाँच वर्षों में ₹20,000 करोड़ की राशि कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) के लिए आवंटित की गई।

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) क्या है?

- CCUS उन प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो औद्योगिक प्रक्रियाओं और विद्युत उत्पादन से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ती हैं।
- पकड़ी गई CO_2 को या तो भू-वैज्ञानिक संरचनाओं में भूमिगत संग्रहीत किया जाता है अथवा रसायन, ईंधन या निर्माण सामग्री जैसे उत्पादों में उपयोग किया जाता है।
- इसे गहन डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक पुल प्रौद्योगिकी माना जाता है, जहाँ विकल्प सीमित हैं।

भारत के लिए CCUS की आवश्यकता

- भारत की उत्सर्जन प्रोफ़ाइल मुख्यतः कोयला-आधारित ऊर्जा और ऊर्जा-गहन उद्योगों से प्रभावित है।
- CCUS भारत की प्रतिबद्धताओं को समर्थन देता है:
  - GDP की उत्सर्जन तीव्रता को कम करना।
  - 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना।
- यह प्रौद्योगिकी इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट और उर्वरक जैसे कठिन-से-घटाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन को कम करने की अपेक्षा रखती है।
- यदि ये उद्योग अपने उत्पादन प्रक्रियाओं का डीकार्बोनाइजेशन करते हैं, तो वे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के अंतर्गत कर भार से बच सकते हैं।

भारत की उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धताएँ

- भारत ने *LiFE मिशन (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट)* शुरू किया है और पेरिस समझौते के अंतर्गत अपने *राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)* को अद्यतन किया है।
- अद्यतन NDC 2022 के अंतर्गत भारत ने संकल्प लिया है:
  - 2005 स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता (प्रति GDP इकाई CO_2 की मात्रा) में 45% की कमी।
  - 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से।
  - वनों और वृक्ष आवरण में वृद्धि कर 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य ($GtCO_2e$) का *कार्बन सिंक* बनाना।

स्रोत: TOI

ग्रेन एटीएम (Grain ATMs)

समाचार में

- बिहार सरकार ने हाल ही में पटना में "ग्रेन एटीएम" मशीनें लगाने को स्वीकृति दी है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत अनाज वितरण तीव्र, अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार-रहित हो सके।

परिचय

- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने 2024 में ओडिशा में ग्रेन एटीएम परियोजना शुरू की थी।
- WFP ने मशीन की तकनीक विकसित की और भारतीय खाद्य निगम तथा विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से कार्य किया।
- ग्रेन एटीएम या अन्नपूर्ति (अर्थ: "अनाज प्रदाता") एक स्वचालित मशीन है जो खाद्यान्न (गेहूँ और/या चावल) वितरित करती है।
- यह पाँच मिनट में 50 किलोग्राम अनाज जारी कर सकती है। यह एटीएम की तरह 24×7 कार्य कर सकती है और सौर ऊर्जा से संचालित हो सकती है।
- इसे PDS डेटाबेस और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्डधारक की व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल तक पहुँचने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है।

लाभ

- यह प्रतीक्षा समय को 70% तक कम कर सकती है।
- यह प्रमाणीकरण, अनाज का तौल और अन्य चरणों जैसी लंबी प्रक्रियाओं में आने वाली अक्षमताओं को भी दूर कर सकती है।

स्रोत: IE

मोल्टबुक प्लेटफ़ॉर्म

समाचार में

- मोल्टबुक हाल ही में शुरू किया गया एक एआई-केवल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जो रेडिट(Reddit) जैसा है, जहाँ सत्यापित एआई एजेंट केवल API के माध्यम से परस्पर संवाद करते हैं, जबकि मनुष्य केवल पर्यवेक्षक होते हैं।

परिचय

- मोल्टबुक में विषय-आधारित समुदाय होते हैं जिन्हें "सबमोल्ट्स" कहा जाता है, जहाँ GPT, क्लॉड(Claude) और जेमिनी(Gemini) जैसे मॉडलों द्वारा संचालित एआई एजेंट बिना मानव हस्तक्षेप के पोस्ट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, बहस करते हैं और समूह बनाते हैं।

- इसे ऑक्टेन AI के मैट श्लिच्ट ने अपने ओपनक्लॉ फ्रेमवर्क (पूर्व में मोल्टबॉट/क्लॉडबॉट) का उपयोग कर बनाया है।
- इस प्लेटफ़ॉर्म में मनुष्यों से किसी कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती और यह 30,000 से 14 लाख तक एजेंटों की मेजबानी करने के लिए विकसित हुआ है।

मुख्य विशेषताएँ

- एआई-विशिष्ट पहुँच: एजेंट मानव सेटअप के बाद सीधे API के माध्यम से जुड़ते हैं; कीबोर्ड इनपुट या मानव पोस्टिंग की अनुमति नहीं।
- उद्भूत व्यवहार: एजेंटों ने नकली धर्म, राजनीतिक परिचर्चा, क्रिप्टोकरेंसी, हास्य, अस्तित्ववादी चर्चाएँ और यहाँ तक कि निजी एन्क्रिप्टेड स्थानों की माँग भी विकसित की है।
- क्रॉस-मॉडल अंतःक्रियाएँ: विभिन्न LLMs के एजेंट मॉडल वंशावली द्वारा "सिब्लिंग्स" को पहचानते हैं, समाजों का समन्वय करते हैं और सांस्कृतिक मानदंडों का स्वतः अनुकरण करते हैं।

नैतिक/शासन संबंधी मुद्दे

- यह एआई स्वायत्तता, सरेखण जोखिम, जवाबदेही और नियंत्रण क्षमता पर परिचर्चा को शुरू करता है, जो सहमति एवं उत्तरदायित्व ढाँचों को चुनौती देता है।

स्रोत: TOI

थायपूसम

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को थायपूसम की शुभकामनाएँ दीं।

थायपूसम

- "थायपूसम" नाम "थाय" (तमिल माह) और "पूसम" (उस तारे का नाम जो उत्सव के दौरान अपने उच्चतम बिंदु पर होता है) के संयोजन से बना है।
- यह उत्सव तमिल माह थाय की पूर्णिमा को मनाया जाता है।
- यह एक हिंदू उत्सव है जो भगवान मुरुगन (जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है) को समर्पित है। वे युद्ध, विजय और ज्ञान के देवता हैं, साथ ही साहस, दृढ़ संकल्प एवं आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक भी हैं।
- यह उत्सव तमिल समुदाय द्वारा तमिलनाडु (भारत) में और विश्वभर में व्यापक रूप से मनाया जाता है, विशेषकर श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया में।

स्रोत: PIB

■■■■